



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-357/CG/8/2022-ESDW

दिनांक: 20.06.2022

सेवा में,

डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी,
प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग,
एस-10, मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़.
ई-मेल: pshealthcg@gmail.com

विषय: "छत्तीसगढ़ में जन्म के 28 दिनों के भीतर 18 हजार बच्चों की मौत हर साल" शीर्षक से समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार में दिनांक 21 फरवरी 2022 को रायपुर से प्रकाशित समाचार के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक सुनवाई/सिटिंग हेतु दिनांक 14.06.2022 को जारी किये गए समन का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सुनवाई/सिटिंग जो की दिनांक 21.06.2022 को पूर्वाह्न: 11:00 बजे होने वाली थी, अब वह दिनांक 04.07.2022 को पूर्वाह्न: 11:00 बजे पुनर्निर्धारित की गयी है।

2. निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है की सभी दस्तावेजों के साथ पुनर्निर्धारित तिथि और समय पर सुनवाई/सिटिंग में उपस्थित होने का कष्ट करें। संशोधित समन संलग्न है।

भवदीय,

(एस. पी. मीना)
उप-निदेशक